



96

व्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप-जबलपुर

पुनरीकाण क्रमांक

/2015 जिला जबलपुर

निः - २४५१ - I - १६

नोखेलाल आर्मो (गौड़) उम्र. 38 वर्ष  
पिता स्व. जेठलाल गौड़ 1- देवलाल  
निवास ग्राम हंसापुर पोस्ट पड़िरिया  
थाना कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर ..... आवेदक  
विलङ्घ

- 1- मो० रियाज पिता स्व. मोहम्मद रमजान  
निवासी म.नं. 767, बलगर मोहल्ला, पीली बिल्डिंग, के पास  
मौलाना आजाद वार्ड जबलपुर  
म००४० ३४३८ द्वारा  
कलेक्टर, जिला जबलपुर ..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 व्यायालय  
कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 12/अ-21/2015-16 में पारित आदेश  
दिनांक 19-10-2015 के विलङ्घ.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ व्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपार्ज्ञ किए जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण व्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के स्वामित्व एवं आवेदक की मौजा कूम्ही प.ह.नं. पुराना 51 नया 79 रा.निम. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 174 रकबा 0.920 भूमि स्थित है। उक्त भूमि एक फसली एवं कम उपज वाली होने से तथा निवास स्थान से दूर होने के कारण एवं परिवार की तरकी वाल्ते रूपयों की आवश्यकता होने के कारण आवेदक ने उक्त भूमि को विक्रय करना उचित समझा और केता अनावेदक क्रमांक 1 से विक्रय अनुबंध कर द्याना प्राप्त कर लिया है, ऐसी स्थिति में उसे विक्रय की अनुमति दी जाये। किंतु अधीनस्थ व्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत विचार किए बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह अपार्ज्ञ किये जाने योग्य है।
3. यहकि, कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी से जांच प्रतिवेदन बुलाया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण नायब तहसीलदार खम्हरिया को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया जिसमें बताया गया कि आवेदक को उचित प्रतिफल मिल

B  
APU

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2451-एक / 16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-४-१६	<p>यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29-3-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा मौजा कूम्ही प.ह.नं. पुराना 51 नया 79 रा.निम.खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 174 रकबा 0.920 हैक्टर को अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य मो. रियाज पिता स्व. मोहम्मद रमजान को विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्य की गई है । कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि</p>	

B  
AP

(M)

प्रमाण २५१/१६ नोखेलाल विरुद्ध मोहम्मद रियाज अ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
	<p>विक्य की अनुमति देने से इंकार किया है कि भूमि निवेश की वस्तु होती है जिसकी कीमतें भविष्य में तेजी से बढ़ने की संभावना है। कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित हो सकता है किंतु न्यायिक एवं विधिक दृष्टि से उनका निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि संहिता में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना हो तो उसके विक्य की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्य से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्य की अनुमति देने से इंकार किया हैं, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं हैं इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-10-15 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उनके भूमिस्वामित्व की मौजा कूम्ही प.ह.न. पुराना 51 नया 79 रा.निम.खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 174 रकबा 0.920 हैक्टर के विक्य की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</li> <li>केता द्वारा विक्य प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके ) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।</li> <li>उप पंजीयक द्वारा विक्यपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाइन की मान से किया जायेगा।</li> </ol>	<p>पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर</p>

नोखेलाल विरुद्ध मोहम्मद रियाज आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2451-एक / 16

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	वार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>4— भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 6 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।</p> <p>निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p><i>[Signature]</i> <i>(एम०क० सिंह)</i> सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर</p> <p><i>[Signature]</i></p>	